षोडश बिहार विधान सभा

एकादश सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-27.11.2018 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री भोला यादव, स०वि०स० श्री अरूण कुमार, स०वि०स० श्रीमती समता देवी, स०वि०स० श्रीमती सावित्री देवी, स०वि०स० श्री राहुल तिवारी, स०वि०स० श्री लाल बाबू राम, स०वि०स० श्री मो० नवाज आलम, स०वि०स० श्री अरूण कुमार, स०वि०स० (क्षेत्र सं०-192)	राजपत्रित पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने का पूर्व के प्रावधानों को संशोधित करते हुए राज्य में तकनीकी पदों पर नियुक्ति हेतु बिहार तकनीकी सेवा आयोग का गठन किया गया है, जिसमें तकनीकी सेवाओं यथा-चिकित्सक, अभियन्ता, पशु चिकित्सक जैसे महत्वपूर्ण पदों पर निुयुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा नहीं कराकर अंक के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान किया गया है । विदित हो कि प्राय: राज्य के सरकारी महाविद्यालयों से उत्तीर्ण छात्रों का प्राप्तांक राज्य के अंदर या बाहर के प्राईवेट महाविद्यालयों से उत्तीर्ण छात्रों के प्राप्तांक के अपेक्षा कम रहते हैं । जबकि सरकारी महाविद्यालय के छात्र अपेक्षाकृत ज्यादा मेधावी होते हैं । फलस्वरूप राज्य के महाविद्यालयों से उत्तीर्ण छात्र अपेक्षाकृत ज्यादा मेधावी होते हुए भी नियुक्ति के अवसर से अभिवंचित हो जायेंगे । अतएव राज्य हित एवं मेधा हित में बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा तकनीकी पदों पर की जा रही नियुक्तियों में प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।	सामान्य प्रशासन

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
2.	श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह, स०वि०स० श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव, स०वि०स० श्री सुधांशु शेखर, स०वि०स० श्री लाल बाबू प्र० गुप्ता, स०वि०स० श्रीमती गायत्री देवी, स०वि०स० श्री मिथिलेश तिवारी, स०वि०स० श्री अवधेश सिंह, स०वि०स० श्री रविन्द्र यादव, स०वि०स० श्री विनय बिहारी, स०वि०स० श्री अशोक कुमार सिंह, स०वि०स० (क्षेत्र संख्या-203) डॉ० सी०एन० गुप्ता, स०वि०स० श्री ललन पासवान, स०वि०स० श्री मेवालाल चौधरी, स०वि०स०	''सम्पूर्ण बिहार में औसतन कम बारिस होने से किसानों को सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ा है लेकिन राज्य के लगभग 50% क्षेत्र को ही सूखाग्रस्त घोषित किया गया है, जिससे बाकी बचे क्षेत्र के कृषकों में भारी क्षोभ एवं आक्रोश है । अतः राज्य के शेष बचे हुये क्षेत्र को भी सूखाग्रस्त घोषित कर किसानों को उचित लाभ देने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।''	कृषि / आपदा प्रबंधन

बटेश्वर नाथ पाण्डेय
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-28/18- 9793 / वि०स०, पटना, दिनांक-26 नवम्बर, 2018 ई० ।

प्रतिः- बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्री / माननीय मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय, पटना / संसदीय कार्य विभाग / सामान्य प्रशासन विभाग / कृषि विभाग एवं एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रदीप कुमार राय 26.11.2018
(प्रदीप कुमार राय)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-28/18- 9793 / वि०स०, पटना, दिनांक-26 नवम्बर, 2018 ई० ।

प्रतिः- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रदीप कुमार राय 26.11.2018
(प्रदीप कुमार राय)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

26/11/2018